

## पांचवीं अनुसूची

[धारा 138(i) देखिए]

### भाग 1

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 9 के उपशीर्ष सं0 0902.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1 रुपया प्रति किलोग्राम” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

5

(2) अध्याय 17 में, टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4. शीर्ष सं0 17.02 के उत्पादों के संबंध में उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए उत्पाद पर उसके आधानों पर लेबल लगाना या पुनःलेबल लगाना और प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनःपैकिंग करना या कोई अन्य अभिक्रिया अपनाना “विनिर्माण” की कोटि में आएगा ;”

(3) अध्याय 24 के उपशीर्ष सं0 2402.00, 2403.31 और 2403.32 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

10

(4) अध्याय 30 के उपशीर्ष सं0 3004.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 40 में,—

(i) उपशीर्ष सं0 4005.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“-प्लेटें, चादरें, पट्टियाँ, चाहे वे किसी वस्त्र सामग्री से संयोजित हों या नहीं, जिसके विनिर्माण के संबंध में उपयोग निवेश पर संदत्त शुल्क का केंद्रीय मूल्यवर्धित कर मुजरा का उपयोग नहीं किया गया है”;

15

(ii) उपशीर्ष सं0 4011.10 और 4013.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 44 के उपशीर्ष सं0 4010.19 और 4010.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 48 में,—

20

(i) उपशीर्ष टिप्पण 3 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम, 2001 के अधीन प्रक्रिया का पालन करना ; और”;

(ii) उपशीर्ष सं0 4820.00, 4821.00 और 4823.20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

25

(8) अध्याय 59 के उपशीर्ष सं0 5906.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 61 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘3. इस अध्याय के किसी उत्पाद के संबंध में, “ब्राण्ड नाम” से ऐसा कोई ब्राण्ड नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिन्ह जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद के संबंध में व्यापार के अनुक्रम में उत्पाद और ऐसे किसी व्यक्ति के, जो उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत से या उसके बिना उस नाम या चिन्ह का प्रयोग कर रहा है, संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे ऐसा उपदर्शित होता है ।

30

4. इस अध्याय के किसी उत्पाद के संबंध में, उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए उत्पाद पर कोई ब्राण्ड नाम लगाना, उसके आधानों पर लेबल लगाना या पुनःलेबल लगाना और प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनःपैकिंग करना या कोई अन्य अभिक्रिया अपनाना विनिर्माण की कोटि में आएगा ।’ ;

35

(ii) उपशीर्ष सं0 6101.00 और 6102.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 66 के उपशीर्ष सं0 6601.00 और 6602.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 68 के उपशीर्ष सं0 6807.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 70 के उपशीर्ष सं0 7011.10 और 7012.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

40

(13) अध्याय 73 में,—

(i) टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘4. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, गाल्वनीकरण की प्रक्रिया “विनिर्माण” की कोटि में आएगी।’ ;

(ii) उपशीर्ष 7326.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

45

(14) अध्याय 74 के उपशीर्ष सं0 7418.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 82 के उपशीर्ष सं0 8215.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 84 के उपशीर्ष सं0 8413.11, 8413.12, 8413.13, 8413.14, 8413.20, 8413.91, 8414.10, 8414.20, 8414.91, 8481.20, 8481.92 और 8483.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 85 के उपशीर्ष सं0 8524.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

5 (18) अध्याय 87 के उपशीर्ष सं0 8712.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 90 के उपशीर्ष सं0 9018.00, 9019.00 और 9022.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 94 के उपशीर्ष सं0 9405.10 और 9406.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

10 (21) अध्याय 95 के उपशीर्ष सं0 9501.00, 9502.00 और 9503.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

## भाग 2

| शीर्ष सं0 | उपशीर्ष सं0                                                                                                                                                        | माल का वर्णन                                                         | शुल्क की दर                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                                                                                                                                                | (3)                                                                  | (4)                                                          |
| 15        | केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में, अध्याय 36 के उपशीर्ष सं0 36.05 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- |                                                                      |                                                              |
|           | <b>“36.05</b>                                                                                                                                                      | <b>दियासलाई, शीर्ष सं0 36.04 के अग्निक्रीड़ा की वस्तुओं से भिन्न</b> |                                                              |
|           | 3605.10                                                                                                                                                            | - बंगाल लाईट्स                                                       | 16 %                                                         |
| 20        | 3605.90                                                                                                                                                            | - अन्य                                                               | 1.30 रुपए प्रति एक हजार दियासलाईयों या उनके प्रभाग के लिए "। |